"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 अगस्त 2018 — श्रावण 29, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 8253/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-08-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 20 सन् 2018)
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2018.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, उप–धारा (1) में,–

(एक) खण्ड (खख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(खखख) **"परख प्रयोगशाला"** से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कारोबार करने योग्य मानकों या ग्रेड पैमाना या किन्हीं अन्य मानकों के अनुरूप गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए स्थापित की गई प्रयोगशाला, जैसा कि नियम/उप–विधि/दिशा निर्देश/निर्देश में विहित किया जाये;"

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(गग) **"विनियम"** से अभिप्रेत है धारा 81–क के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियम;"

(तीन) खंड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(घघघ) **"संचालक"** से अभिप्रेत है संचालक, कृषि विपणन या कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन संचालक, कृषि विपणन की ऐसी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निवर्हन के लिये नियुक्त किया गया हो, जैसा कि अधिसूचना द्वारा विहित किया जाये;"

(चार) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:

"(चच) कृषि उपज के संबंध में **"प्रत्यक्ष विपणन"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन मुख्य मंडी प्रागंण, उपमंडी प्रागंण, निजी मंडी प्रागंण के बाहर प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातकों, व्यापारियों द्वारा किसानों से कृषि उपज की थोक सीधी खरीदी;

(चचच) **"इलेक्ट्रॉनिक व्यापार"** से अभिप्रेत है पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उत्पाद का व्यापार, जिसमें पंजीयन, नीलामी, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध, बातचीत, सूचना का आदान–प्रदान, रिकॉर्ड रखने और अन्य जुड़ी गतिविधियां, कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती हैं;

(चचचच) **"निर्यात"** से अभिप्रेत है कृषि उपज, जिसमें पशुधन भी शामिल है, का भारत से बाहर भेजा जाना;"

(पांच) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(झझ) कृषि उपज के संबंध में **"विपणन"** से अभिप्रेत है कृषि उपज के प्रवाह में समाहित समस्त गतिविधियां, जिसमें उत्पादन स्थल पर फसल कटाई के स्तर से प्रारंभ होकर उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुॅचना शामिल हैं यथा श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण की प्रणालियां और इस प्रकिया में शामिल अन्य सभी कार्य;

(झझझ) **"व्यक्ति"** में शामिल है व्यक्तिगत, एक सहकारी संस्था, हिंदू संयुक्त परिवार, एक कंपनी या फर्म या कोई संगठन या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं;"

(छः) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(तत) **"विक्रेता"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो तय मूल्य पर पशुधन सहित कृषि उपज को विकय करता है या विकय के लिए सहमत होता है;

(ततत) **"केता"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो स्वयं या किसी व्यक्ति या अभिकर्ता की ओर से मंडी में पशुधन सहित कृषि उपज कय करता है या कय करने हेतु सहमत होता है;

(तततत) **"थोक तदर्थ केता"** में शामिल है इस अधिनियम की धारा 33–ख के अन्तर्गत पंजीकृत केता;"

धारा 7 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (2) के परन्तुक में, शब्द ''प्रबंध संचालक'' के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 11–ख का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 11–ख की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(घ) उसने पिछले एक वर्ष में कम से कम एक बार या पिछले पांच वर्षों में कम से कम पांच बार अपनी कृषि उपज, मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल मंडी प्रागंण या किसी एक उपमंडी प्रागंण या एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में विक्रय की हो।''

धारा 12 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 12 में, जहां कहीं भी शब्द ''प्रबंध संचालक'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 13–क, 13–ख, 13–ग का जोड़ा जाना.

6. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''13–क. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.–(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव उप–धारा (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाये गये सम्मिलन में लाया जा सकता है और यदि ऐसा प्रस्ताव, समिति के कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेंगे।

(2) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, मंडी समिति का सम्मिलन, विहित रीति में समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिवस के भीतर बुलाया जायेगा। मंडी समिति का कोई भी पदेन सदस्य, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नहीं देगा। पदेन सदस्य को लाये गये 'अविश्वास प्रस्ताव' पर वोट देने का शक्ति भी नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, किन्तु ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता, ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे कलेक्टर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। तथापि, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को बोलने एवं अन्यथा सम्मिलन की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होगा।

(4) यदि उपरोक्तानुसार अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनती है तो ऐसी सम्मिलन के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति तक उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करने वाली किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जायेगा।

13–ख. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अवकाश तथा अवकाश के बिना, अनुपस्थिति का परिणाम.– (1) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो संचालक से अवकाश लिये बिना, समिति की निरंतर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, ऐसी तारीख, जिस पर ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की जाती है, से अध्यक्ष नहीं रह जाएगां।

(2) उप–धारा (1) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष से अवकाश लिये बिना, समिति की निरंतर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, ऐसी तारीख, जिस पर ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की जाती है, से उपाध्यक्ष नहीं रह जाएगा।

(3) उप–धारा (1) या (2) के अधीन मंडी समिति की निरंतर छः बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब कभी भी अत्यधिक आवश्यकता होने पर, विहित रूप में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसा अवकाश दिया जाता है तो मंडी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में दायित्वों और कार्यों के निवर्हन के लिये मण्डी समिति, ऐसे पात्र सदस्यों का चुनाव करेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

13–ग. नये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपने से इन्कार. – (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, का चुनाव होने पर बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यालय में अपने उत्तराधिकारी को अपने पद का कार्यभार तत्काल सौंपना होगा।

(2) यदि बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उप–धारा (1) के अधीन अपने पद का कार्यभार सौंपने में विफल रहता है या इंकार करता है तो संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित में आदेश द्वारा उसके पद का कार्यभार मण्डी समिति के समस्त अभिलेख,

कोष एवं संपत्ति सहित जो उसके कब्जे में हो, सौंपने का तत्काल निर्देश दे सकता है।

(3) यदि बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिनको उप–धारा (2) के अधीन निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का पालन नहीं करता है तो संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि डिक्री के निष्पादन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन व्यवहार न्यायालय में निहित है।''

धारा 17 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (3) में, जहां कहीं भी शब्द ''प्रबंध संचालक'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 18–क का जोड़ा जाना.

8. मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''18–क. मंडी समितियों द्वारा किया गया कार्य अविधिमान्य नहीं, –

मण्डी समिति या उसकी किसी उप समिति या उसके किसी भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सचिव के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति के किसी कार्य को, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसी मंडी समिति, उप समिति, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या सचिव के गठन या नियुक्ति में कुछ त्रुटि है अथवा इस आधार पर कि उन्हें या उनमें से किसी को ऐसे पद के लिए अयोग्य करार दिया गया था अथवा यह कि मंडी

समिति या उपसमिति की किसी बैठक के आशय की औपचारिक नोटिस सम्यक् रूप से न दिया गया हो अथवा इस कारण से कि ऐसा कृत्य ऐसी समिति या उपसमिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव या सदस्य के पद में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान किया गया है अथवा ऐसी अन्य किसी अनौपचारिकता के लिए, जो मामले के गुण दोष को प्रभावित न करती हो।''

9. मूल अधिनियम की धारा 19–ख के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– **नवीन धारा 19–ग का जोड़ा जाना.**

''19–ग. मंडी समिति द्वारा उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण.–

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मण्डी समिति, पशुधन सहित कृषि उपज की उन वस्तुओं के व्यापार की भी अनुमति दे सकती है जो अधिनियम के अधीन विनियमन हेतु अधिसूचित नहीं है अथवा अधिनियम की अनुसूची में विनियमन हेतु विनिर्दिष्ट नहीं है।

(2) मंडी समिति, उप–धारा (1) के अधीन यथा उपबंधित उप–विधियों में विहित अनुसार, व्यापार की अनुमति देने के लिए उपयोग शुल्क संग्रहित कर सकती है जो अंतरित किए गए अनाशवान कृषि उपज की दशा में मूल्यानुसार दो प्रतिशत से अधिक नही होगा एवं नाशवान कृषि उपज तथा पशुधन की दशा में मूल्यानुसार एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।''

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, **धारा 20 का संशोधन.**

(1) उप–नियम (1) में, शब्द ''राज्य सरकार या बोर्ड'' के पश्चात्, शब्द ''या संचालक'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) उप–नियम (2) में, शब्द ''बोर्ड'' के पश्चात्, शब्द ''या संचालक''

अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 21 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम की धारा 21 में, –

(1) उप–धारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार या बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये, तथा

(2) उप–धारा (5) में, शब्द "राज्य सरकार या बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 23 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 23 की उप--धारा (1) के खण्ड (एक) में, जहां कहीं भी शब्द "बोर्ड" आया हो के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 24 का संशोधन. 13. मूल अधिनियम की धारा 24 में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 25–क का संशोधन. 14. मूल अधिनियम की धारा 25–क में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक " प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 27–क का जोड़ा जाना. 15. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

27–क. सचिव की शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य.– सचिव, इस अधिनियम, नियम या उप–विधि में यथा विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :–

(एक) मंडी समिति और उप–समिति, यदि कोई है, की बैठक बुलाना तथा उसकी कार्यवाही विवरण संधारित करना;

(दो) मंडी समिति और प्रत्येक उप–समिति की बैठकों में उपस्थित होना तथा चर्चा में भाग लेना, किन्तु वह ऐसी

किसी भी बैठक में कोई मत नहीं देगा;

(तीन) मंडी समिति और उप--समिति के प्रस्तावों को प्रभावशील करने के लिये कार्यवाही करना और ऐसे प्रस्तावों के अनुसरण में की गई सभी कार्यवाहियों के बारे में यथासंभव शीघ्र, समिति को रिपोर्ट करना;

(चार) बजट प्रस्ताव तैयार करना;

(पांच) मंडी समिति को ऐसी रिटर्न, कथन, अनुमानक, सांख्यिकी और रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जैसा कि मंडी समिति समय–समय पर अपेक्षा करे, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट सम्मिलित है,–

(क) किसी भी स्टाफ के सदस्यों और मंडी कृत्यकारियों एवं अन्य के विरूद्ध की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही पर उद्ग्रहित जुर्माने एवं दण्ड;

(ख) किसी व्यापारी द्वारा अत्यधिक कारोबार;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम, नियमों और उप–विधियों के प्रावधानों तथा स्थायी आदेशों के उल्लंघन;

(घ) अध्यक्ष या संचालक द्वारा लाइसेंस के निलम्बन या रद्दकरण; और

(ङ) मंडी समिति के प्रशासन और मुख्य मंडी प्रांगण, उप–मंडी प्रांगण में विपणन के विनियमन।

(छः) जब कभी भी मंडी समिति द्वारा इस प्रकार मांग की जाए, ऐसे दस्तावेज, किताबें, पंजी और इस तरह के अन्य कागजात मंडी समिति के समक्ष रखना, जैसा कि

मंडी समिति और उप–समिति के कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक हो;

(सात) मंडी समिति के सभी अधिकारियों और सेवकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और उनका नियंत्रण रखना;

(आठ) मंडी समिति को देय शुल्क/उपयोग शुल्क और उसके द्वारा उद्ग्रहणीय अन्य धनराशि को संग्रहित करना;

(नौ) मंडी समिति को प्राप्त या उसकी ओर से प्राप्त की गई सभी धनराशि के लिए जिम्मेदार होना;

(दस) मंडी समिति द्वारा वैधानिक रूप से देय सभी धनराशियों का वितरण करना;

(ग्यारह) मंडी समिति निधि या सम्पत्ति की धोखाधड़ी, गबन, चोरी या नुकसान के संबंध में यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष और संचालक को रिपोर्ट करना;

(बारह) मंडी समिति की ओर से प्रारंभ किये जाने वाले अभियोजन के संबंध में शिकायत प्रस्तुत करना एवं मंडी समिति की ओर से सिविल या अपराधिक कार्यवाहियां संस्थित करना।

धारा 30 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 30 में, जहां कहीं भी शब्द ''प्रबंध संचालक'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 32 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप–धारा (2) में, शब्द ''प्रबंध संचालक'' के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 33 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम की धारा 33 में, जहां कहीं भी शब्द ''प्रबंध संचालक'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 33–ख का

19. मूल अधिनियम की धारा 33–क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये,

अर्थात्:–

जोड़ा जाना.

"33–ख. थोक तदर्थ केता का पंजीयन .–

(1) कोई भी व्यक्ति, जो मंडी प्रागंण/उपमंडी प्रागंण से अपने स्वयं के उपभोग के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर, वैधानिक लाइसेंस के बिना, थोक खरीद्दारी की इच्छा रखता है, संबंधित मंडी में, ऐसे प्ररुप में एवं ऐसी रीति में पंजीयन करा सकता है, जैसा कि विहित किया जाये,–

(क) ऐसा केता, पंजीयन कराते समय अथवा बाद में किंतु क्रय से पूर्व, क्रय का मंडी प्रागंण/उपमंडी प्रागंण एवं दिवस बताएगा;

(ख) इस प्रकार क्रय किए जाने की दशा में, क्रेता, मंडी समिति को लागू दर पर मंडी शुल्क का भुगतान करने हेतु दायी होगा :

परन्तु संबंधित मंडी प्रागंण/उपमंडी प्रागंण में इस तरह की थोक खरीदी, एक माह में तीन से अधिक बार नहीं की जा सकेगी।"

20. मूल अधिनियम की धारा 34 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 34 का संशोधन.**

21. मूल अधिनियम की धारा 34–क की उप–धारा (4) में, शब्द "प्रबंध संचालक, बोर्ड के अनुमोदन उपरांत" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 34–क का संशोधन.**

22. मूल अधिनियम की धारा 34–क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– **नवीन धारा 34–ख का जोड़ा जाना.**

"34–ख. अन्तर्राज्यीय व्यापार के संव्यवहार के संबंध में विवादों का निपटारा.– ई–प्लेटफार्म या ऐसे किसी अन्य प्लेटफार्म पर अंतर्राज्यीय व्यापार संव्यवहार में किसी विवाद के उत्पन्न की दशा में,

राज्य सरकार, ऐसे प्राधिकरण की सदस्यता ले सकेगी, जो विद्यमान विधि या इस उद्देश्य से बनाये जाने वाली किसी विधि के अधीन केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित की जाए।"

धारा 37–क का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 37–क की उप–धारा (4) में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 39 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 39 के खण्ड (आठ) के खण्ड (छ) में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक " प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 42–च, 42–छ का जोड़ा जाना.

25. मूल अधिनियम की धारा 42–ङ के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"42–च. प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियॉ.– (एक) विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यपालक प्रशासन, संबंधित लेखों और रिकार्डों और कर्मचारियों की सेवा से संबंधित सभी प्रश्नों के निपटान के मामलों में, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करना;

(दो) बोर्ड द्वारा विहित निर्देश और प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;

(तीन) कार्य की स्वीकृत मदों पर विपणन विकास निधि से व्यय करना;

(चार) आपातकालीन स्थिति में, किसी कार्य के निष्पादन या रोके जाने एवं ऐसे किसी कार्य को करने का निर्देश देना, जिसके लिए बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है;

(पांच) बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना;

(छः) बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना;

(सात) बोर्ड की बैठकों के लिए व्यवस्था करना और विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों के रिकार्डों का अनुरक्षण करना;

(आठ) बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे उपाय करना, जैसा कि आवश्यक समझे;

(नौ) मंडी समिति द्वारा अपने स्वयं की निधि अथवा ऋण और/या बोर्ड अथवा अन्य किसी एजेंसी द्वारा प्रदत्त अनुदानों से किये गये निर्माण कार्य का निरीक्षण करना और सुधारात्मक उपाय करना;

(दस) ऐसे उपाय करना, जो कि बोर्ड के कार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जाए।

42–छ. बोर्ड के कार्यों का संचालन.– (1) बोर्ड, प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर अपने कार्य के निष्पादन के लिए बैठक करेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये।

(2) उप–धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय–4 के प्रावधान, बोर्ड के कार्य संचालन के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(3) बोर्ड की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित होंगी और बोर्ड द्वारा जारी अन्य सभी आदेश तथा अन्य दस्तावेज अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबंध संचालक अथवा बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जैसा कि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अभिप्रमाणित होंगे।

(4) बोर्ड, नियम के अंतर्गत विहित रीति में कार्य संचालन करेगा।''

धारा 43 का संशोधन.

26. मूल अधिनियम की धारा 43 की उप–धारा (1) में, शब्द ''पचास प्रतिशत'' के स्थान पर, शब्द ''चालीस प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन अध्याय 8–क का जोड़ा जाना.

27. मूल अधिनियम के अध्याय–8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''अध्याय 8–क

47–क. संचालक, कृषि विपणन की नियुक्ति.– सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत संचालक, कृषि विपणन की शक्तियों के प्रयोग या कार्यों के निष्पादन के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी ।

47–ख. संचालक, कृषि विपणन की शक्तियॉ और कार्य.– (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, संचालक, बोर्ड के प्रबंध संचालक के लिए विहित शक्तियों एवं कार्यों के अतिरिक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकेगा, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के समुचित कियान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

(2) विशिष्टतः एवं धारा 52 की उप–धारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संचालक के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे –

(एक) निजी मंडी प्रागंण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रागंण, निजी उपमंडी प्रागंण, इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म तथा डायरेक्ट मार्केटिंग की स्थापना एवं/या संचालन के लिए व्यक्ति को दिये गये लाइसेंस की स्वीकृति/नवीनीकरण तथा निलंबन या निरस्तीकरण;

(दो) एकीकृत एकल ट्रेडिंग लायसेंस की स्वीकृति/नवीनीकरण एवं निलंबन या निरस्तीकरण;

(तीन)मुख्य मंडी प्रागंण, उपमंडी प्रागंण में पशुधन सहित कृषि उपज के संव्यवहार के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रभावी कियान्वयन के लिए मंडी समितियों पर पर्यवेक्षण;

(चार) मंडी समिति द्वारा इस अधिनियम और नियमों द्वारा निर्मित उप–विधि का अनुमोदन;

(पांच) मंडी समिति और बोर्ड के खातों की लेखा–परीक्षा करने के लिए व्यक्तियों या संगठन का चयन करना;

(छः) इस अधिनियम की धारा 25–क के अनुसार, मंडी समिति के बजट की स्वीकृति/अनुमोदन;

(सात) मंडी समिति के अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति;

(आठ) मंडी समिति का चुनाव समय–सीमा में एवं समुचित आयोजन के लिए और उससे जुड़ी

गतिविधियों के लिए उपाय करना;

(नौ) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के त्यागपत्र की स्वीकृति;

(दस) निजी मंडी प्रागंण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रागंण, निजी उपमंडी प्रागंण, उपमंडी प्रांगण, इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म एवं डायरेक्ट मार्केटिंग के अनुज्ञप्तिधारी और सिंगल युनिफाईड लायसेंस के धारक के लिए विवाद निपटान प्राधिकार के रूप में कार्य करना;

(ग्यारह) मंडी समिति के आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(बारह) ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाये, मंडी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाना; तथा

(तेरह) आवश्यक होने पर मंडी समिति के लेखाओं और कार्यकलापों का निरीक्षण करना या करवाना ।

47–ग. चक्रीय विपणन विकास निधि. – (1) संचालक, पृथक से एक "चक्रीय विपणन विकास निधि" संधारित करेगा, जिसके खाते में निजी मंडी प्रागंण, निजी उपमंडी प्रागंण के अनुज्ञप्तिधारियों से अंशदान के रुप में एवं मंडी समितियों सहित ऐसे अन्य अंशदान से प्राप्त राशि होगी।

(2) प्रत्येक मंडी समिति, लाइसेंस शुल्क तथा मंडी शुल्क से प्राप्त आय की 10 प्रतिशत से अनधिक राशि, जैसा कि विहित की जाये, संचालक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन

विकास निधि'' में अंशदान करेगी।

(3) संचालक, उप–धारा (1) के अधीन इस प्रकार संधारित निधि को सामान्य विपणन अधोसंरचनाओं के विकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान, बंधक वित्त पोषण एवं ऐसी अन्य गतिविधियों में व्यय करेगा, जो राज्य में एक कुशल विपणन प्रणाली बनाने में सहायक होगा।

(4) संचालक, कृषि विपणन के अधिकारियों एवं सेवकों के वेतन तथा अन्य परिलाभ का भुगतान चक्रीय विपणन विकास निधि से किया जायेगा।

47–घ. संचालक, कृषि विपणन का कार्यालय और कर्मचारी.– संचालक, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन एवं ऐसे कार्यों का निष्पादन, जैसा कि इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन समनुदेशित हो, करने के लिए, ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए।''

धारा 50 का संशोधन.

28. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप–धारा (2) में, शब्द ''प्रबंध संचालक'' के स्थान पर, शब्द ''संचालक '' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 53 का संशोधन.

29. मूल अधिनियम की धारा 53 की उप–धारा (1) में, शब्द ''पाँच हजार'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 54 का संशोधन.

30. मूल अधिनियम की धारा 54 में, जहां कहीं भी शब्द ''प्रबंध संचालक'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 55 का संशोधन.

31. मूल अधिनियम की धारा 55 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 56 का संशोधन.

32. मूल अधिनियम की धारा 56 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 57 का संशोधन.

33. मूल अधिनियम की धारा 57 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 58 का संशोधन.

34. मूल अधिनियम की धारा 58 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 59 का संशोधन.

35. मूल अधिनियम की धारा 59 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 59–क एवं 59–ख का जोड़ा जाना.

36. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"**59–क. मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव या आदेश के कियान्वयन या अग्रतर कियान्वयन को रोकने की संचालक की शक्ति.**– (1) सचालक, स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्राप्त रिपोर्ट अथवा प्राप्त शिकायत पर, आदेश द्वारा, मंडी समिति अथवा उसके अध्यक्ष अथवा इसके किसी

अधिकारी या सेवकों द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के कियान्वयन अथवा अग्रतर कियान्वयन पर रोक लगा सकता है, यदि उसकी राय है कि ऐसा संकल्प अथवा आदेश जनहित के विरूद्ध है अथवा किसी मंडी प्रागंण या उप–मंडी प्रागंण में कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन में बाधक होना संभाव्य है अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों या उप–विधियों के विरूद्ध है।

(2) जहां प्रस्ताव अथवा आदेश के कियान्वयन अथवा अग्रतर कियान्वयन पर, उप–धारा (1) के अधीन जारी आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा प्रतिबंध निरंतर जारी रहता है, तो संचालक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर, मंडी समिति का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी कार्यवाही करे, जैसा करने के लिए वह उस स्थिति में सक्षम होती, जब प्रस्ताव या आदेश कभी पारित नहीं किये गये अथवा नहीं दिये गये होते और जो कि अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक को उस प्रस्ताव या आदेश के अंतर्गत किसी कार्य को करने या जारी रखने से रोके जाने हेतु आवश्यक है।

59–ख. सूचना और सहायता देने हेतु स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य.–

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी की सीमा के अंदर या बाहर अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन से संबंधित ऐसी सभी आवश्यक

जानकारी निशुल्क दे, जो मंडी समिति के अधिकारियों अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारियों के कब्जे में या नियंत्रण के अधीन हो।''

धारा 61 का संशोधन.

37. मूल अधिनियम की धारा 61 में, जहां कहीं भी शब्द ''प्रबंध संचालक'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 63 का संशोधन.

38. मूल अधिनियम की धारा 63 के परन्तुक में, शब्द ''प्रबंध संचालक'' के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 64 का संशोधन.

39. मूल अधिनियम की धारा 64 में, शब्द ''बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य सेवक'' के पश्चात्, शब्द ''एवं संचालक'' अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 65 का संशोधन.

40. मूल अधिनियम की धारा 65 में, –

(1) उप–धारा (1) में, शब्द ''प्रबंध संचालक'' के पश्चात्, शब्द ''या संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

''(2–क) संचालक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उनको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों को किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।''

(3) उप–धारा (3) में, शब्द ''प्रबंध संचालक'' के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 66 का संशोधन.

41. मूल अधिनियम की धारा 66 में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द ''प्रबंध संचालक'' आया हो के पश्चात्, शब्द ''या संचालक'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) शब्द "या बोर्ड या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध" के स्थान पर, शब्द "या बोर्ड या संचालक या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 67 का संशोधन.

42. मूल अधिनियम की धारा 67 में, शब्द "बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 81 का संशोधन.

43. मूल अधिनियम की धारा 81 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 82–क का जोड़ा जाना.

44. मूल अधिनियम की धारा 82 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"**82–क. कठिनाई दूर करने की शक्ति.**– यदि इस संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, ऐसे आदेश के द्वारा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा कार्य कर सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो।

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा आदेश, उस तिथि, जिस पर यह संशोधन अधिनियम प्रवर्तन में आएगा, से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 8253/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 20 of 2018)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018.

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.

(2) It shall extend to whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, in sub-section (1),-

(i) after clause (bb), the following shall be inserted, namely:-

"(bbb) "**Assaying lab**" means a laboratory set up, as prescribed in the rules/Bye-laws/guidelines/ instructions, for testing of quality parameters as per the tradable parameters or grade-standards or any other parameters notified by the Competent Authority;"

(ii) after clause (c), the following shall be inserted, namely:-

"(cc) "**Regulation**" means regulation made by the Board under Section 81-A;"

(iii) after clause (dd), the following shall be inserted, namely :-

"(ddd)"**Director**" means Director of Agricultural Marketing or any other officer, appointed by the State Government to exercise or perform such powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act or the rules, as may be prescribed;"

(iv) after clause (f), the following shall be inserted, namely:-

"(ff) "**Direct marketing**" in relation to agricultural produce, means direct wholesale purchase of agricultural produce from the farmers by the processors, exporters, traders, outside the principal market yard, sub-market yard, private market yard under this Act;

(fff) "**Electronic trading**" means trading of notified agricultural produce including livestock in which registration, auctioning, billing, booking, contracting, negotiating, information exchanging, record keeping and other connected

activities are done electronically on computer network/internet;

(ffff) "**Export**" means dispatch of agricultural produce including livestock outside India;

(v) after clause (i), the following shall be inserted, namely:-

"(ii)"**Marketing**" in relation to agriculture produce means all activities involved in the flow of agricultural produce from production point commencing at the stage of harvest till the same reaches the ultimate consumers viz. grading, processing, storage, transport, channels of distribution and all other functions involved in the process;

(iii) "**Person**" includes an individual, a co-operative society, a Hindu Undivided Family, a company or firm or an association or a body of individuals, whether incorporated or not;"

(vi) after clause (p), the following shall be inserted, namely :-

"(pp) "**Seller**" means a person who sells or agrees to sell agricultural produce including livestock for consideration of price;

(ppp) "**Buyer**" means a person, who himself or on behalf of any person or agent

buys or agrees to buy agricultural produce including livestock in the market;

(pppp) "**Wholesale Ad-hoc buyer**" includes a buyer registered under Section 33-B of this Act;"

3. In proviso of sub-section (2) of Section 7 of the Principal Act, for the words "Managing Director", the word "Director" shall be substituted. **Amendment of Section 7.**

4. After clause (c) of sub-section (2) of Section 11-B of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:- **Amendment of Section 11-B.**

"(d) he has sold his agricultural produce at least once in preceding one year, or at least five times in preceding five years in the principal market yard or a sub-market yard or a primary agricultural co-operative society falling in the market area."

5. In Section 12 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 12.**

6. After Section 13 of the Principal Act, the following shall be added, namely : **Addition of new Sections 13-A, 13-B, 13-C**

"**13-A.No confidence motion against Chairman and Vice- Chairman**.-(1) A motion of no confidence may be moved against the Chairman or the Vice-Chairman at a meeting

specially convened for the purpose under sub-section (2), and if the motion is passed by a majority not less than two-third of the Members present and voting, and majority of the total Members of the Committee, the Chairman or Vice-Chairman shall cease to be the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be.

(2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Market Committee shall be held in the prescribed manner within thirty days of the date of receipt of the notice of motion of no confidence which should have been signed by not less than one third of the total members of the committee. No *ex officio* Member of the Market Committee shall move the notice of no confidence. The ex-officio Member shall also not have power to vote on "no confidence motion" brought.

(3) The Chairman or Vice-Chairman shall not preside over the meeting, as the case may be, but such meeting shall be presided over by an Officer, which the Collector may, appoint for the purpose. However, the Chairman or Vice-Chairman as the case may be, shall have the right to speak and otherwise to take part in the proceedings of the meeting.

(4) If the motion of no confidence is not accorded as aforesaid no notice of any

subsequent motion expressing no confidence in the same Chairman or Vice-Chairman shall be made until after the expiry of six months from the date of such scheduled meeting.

13-B. Leave of absence to Chairman and Vice-Chairman and consequences of absence without leave.-(1) Subject to the rules made in this behalf, every Chairman and every Vice-Chairman officiating as Chairman, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Director, shall cease to be the Chairman from the date on which the such third meeting is held.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), every Vice- Chairman, who absents himself from three consecutive meetings of the committee, without leave of the Chairman, shall cease to be the Vice-Chairman from the date on which the such third meeting is held.

(3) Leave under sub-section (1) or (2) shall not be granted for six consecutive meetings of the Market Committee. Whenever such leave in extreme exigencies as prescribed is granted to the Chairman or Vice-Chairman, the Market Committee shall elect such eligible members to discharge the duties and

functions as Chairman and Vice-Chairman of the Market Committee, as may beprescribed.

13-C. Refusal to hand over the charge to new Chairman or Vice-Chairman.- (1) On election of the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, the outgoing Chairman or Vice-Chairman shall forth with hand over the charge of his office to the successor in office.

(2) If the outgoing Chairman or Vice-Chairman fails or refuses to hand over the charge of his office, under sub-section (1), the Director or any Officer authorized by him in this behalf may, by order in writing direct the outgoing Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, forthwith to hand over the charge of his office together with all records, funds and property of the Market Committee, if any, in his possession.

(3) If the outgoing Chairman or Vice-Chairman to whom a direction has been issued under sub-section (2) does not comply with such direction, the Director or any Officer authorized by him in this behalf shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), while executing a decree."

7. In sub-section (3) of Section 17 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 17.**

8. After Section 18 of the Principal Act, the following shall be added, namely :- **Addition of new Section 18-A.**

"**18-A. Act of Market Committee not to be invalidated**.- No act of Market Committee or of any sub-committee there of or of any person acting as a member, Chairman, Vice-Chairman, Presiding Authority or the Secretary shall be deemed to be invalid by reason only of some defect in the constitution or appointment of such Market Committee, sub- committee, Members, Chairman, Vice- Chairman, Presiding Authority or the Secretary or on the ground that they or any of them were disqualified for such office, or that formal notice of the intention to hold a meeting of the committee or of the sub-committee was not given duly or by reason of such act having been done during the period of any vacancy in the office of the Chairman, Vice-Chairman or the Secretary or Member of such committee or sub-committee or for any other informality not affecting the merits of the case."

9. After Section 19-B of the Principal Act, the following shall be added, namely:- **Addition of new Section 19-C.**

"**19-C. Levy of user charge by Market Committee.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Market Committee may allow trade even in those item(s) of the agricultural produce including livestock which is/are not notified for regulation under the Act or are not specified in the Schedule to the Act for regulation.

(2) The Market Committee may collect user charge, as prescribed in Bye-laws, for allowing trade as provided under sub-section (1) at the rate not exceeding two percent *ad valorem* in case of non-perishable transacted agricultural produce and not exceeding one percent *ad valorem* in case of perishable agricultural produce and livestock."

Amendment of Section 20.

10. In Section 20 of the Principal Act,-

(1) in sub-section (1), after the words "the State Government or the Board", the words "or Director" shall be inserted.

(2) In sub-section (2), after the words "the Board", the words "or Director" shall be inserted.

Amendment of Section 21.

11. In Section 21 of the Principal Act, -

(1) in sub-section (3), after the words "State

Gorvernment or Board" the words "or Director" shall be inserted; and

(2) in sub-section (5), after the words "State Gorvernment or Board" the words "or Director " shall be inserted.

12. In clause (i) of sub-section (1) of Section 23 of the Principal Act, after the words "Board", wherever they occur the words "or Director" shall be inserted. **Amendment of Section 23.**

13. In Section 24 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 24.**

14. In Section 25-A of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 25-A.**

15. After Section 27 of the Principal Act, the following shall be added, namely : **Addition of new Section 27-A.**

"**27-A. Powers, functions and duties of the Secretary.-** The Secretary shall exercise and perform the following functions and duties in addition to such other duties as may be specified in this Act, the rules or Bye-laws, namely:-

(i) To convene the meetings of the Market Committee and of the sub-committees, if

any, and maintain minutes of the proceedings thereof;

(ii) To attend the meetings of the Market Committee and of every sub-committee and take part in the discussions but shall not vote at any such meeting;

(iii) To take action to give effect to the resolution of the committee and of the sub-committees, and report about all actions taken in pursuance of such resolution to the committee as soon as possible;

(iv) To prepare the budget proposal;

(v) To furnish to the Market Committee such returns, statements, estimates, statistics and reports as the Market Committee may from time to time, require including reports regarding,-

(a) fines and penalties levied on and any disciplinary action taken against the Members of the staff and the market functionaries and others;

(b) over-trading by any trader;

(c) contravention of the provisions of the Act, the rules, the Bye-laws or standing orders by any person;

(d) suspension or cancellation of licence by the Chairman or the Director; and

(e) administration of the Market Committee and the regulation of the marketing in the principal market yard, sub-market yard(s).

(vi) To produce before the Market Committee such documents, books, registers and the likes as may be necessary for the transaction of the business of the committee or the sub-committee, whenever called upon by the Market Committee to do so;

(vii) To exercise supervision and control over the acts of all officers and servants of the Market Committee;

(viii) To collect fees/user charge and other money leviable by or due to the Market Committee;

(ix) To be responsible for all moneys credited to or received on behalf of the Market Committee;

(x) To make disbursements of all moneys lawfully payable by the Market Committee;

(xi) To report to the Chairman and the Director as soon as possible in respect of fraud, embezzlement, theft or loss of Market Committee Fund or property; and

(xii) To prefer complaints in respect of prosecutions to be launched on behalf of the Market Committee and conduct civil or criminal proceedings, on behalf of the Market Committee.

Amendment of Section 30. **16.** In Section 30 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted.

Amendment of Section 32. **17.** In sub-section (2) of Section 32 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be subsituted.

Amendment of Section 33. **18.** In Section 33 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted.

Addition of new Section 33-B. **19.** After Section 33-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"**33-B. Registration of wholesale ad-hoc buyer.-** (1) Any person desirous of wholesale buying from the market-yard/sub-market yard on day to day basis for own consumption even without valid licence, may register with the concerned Market Committee, in the form and in the manner as may be prescribed,-

(a) Such buyer will specify the market yard/sub-yard and day of purchase while making the registration; or afterward before purchase;

(b) In case of such buying, the buyer shall be liable to pay Market fee at the applicable rate to the Market Committee:

Provided that such wholesale purchases cannot be made more than three times in a month in the concerned market yard/sub market yard."

20. In Section 34 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 34.**

21. In sub-section (4) of Section 34-A of the Principal Act, for the words "after the approval of the Board, by the Managing Director", the words "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 34-A.**

22. After Section 34-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:- **Addition of new Section 34-B.**

"**34-B. Dispute settlement with regard to Inter-State trade transaction.-** In case of any dispute arising out of inter-State trade transaction on e-platform or any other such platform, the State Government can subscribe to become part of such Authority, which may be constituted by the Union Government or State Government under the existing law or any law to be framed thereupon."

23. In sub-section (4) of Section 37-A of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 37-A.**

Amendment of Section 39. **24.** In sub-clause (g) of clause (viii) of Section 39 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be subsituted.

Addition of new Sections 42-F and 42-G. **25.** After Section 42-E of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"**42-F. Functions and powers of the Managing Director-** (i) exercise supervision and control over officers and employees of the Board in matters of executive administration, concerning accounts and records and disposal of all questions relating to the service of the employees as per procedure prescribed;

(ii) appoint officers and employees of the Board as per direction and procedure prescribed by the Board;

(iii) incur expenditure from the Marketing Development Fund on the sanctioned items of work;

(iv) in case of emergency, direct the execution or stoppage of any work and doing of any act which requires the sanction of the Board;

(v) prepare annual budget of the Board;

(vi) arrange for internal audit of the Board;

(vii) arrange for the meetings of the Board and maintain records of the proceedings of the meetings of the Board as per procedure prescribed;

(viii) take such steps as deemed necessary for execution of the decision of the Board;

(ix) inspect the construction work under taken by the Market Committees either from their own funds or loans and /or grants provided by the Board or any other agencies and take corrective measures;

(x) take such steps as deemed necessary for effective discharge of the functions of the Board.

42-G. Conduct of business of the Board- (1) The Board shall meet for the transaction of its business at least once in every three months at such place and at such times as the Chairman may determine.

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1) the provisions of Chapter-IV shall *mutatis mutandis* apply for the conduct of the business of the Board.

(3) All proceedings of the Board shall be authenticated by the signature of the Chairman, Member-Secretary/Managing Director and all other orders and other instruments issued by the Board shall be authenticated by the signature of the Chairman, Member-Secretary/ Managing Director or such other officer of the Board as may be authorized by the Board.

(4) The Board shall conduct the business in a manner prescribed under the rules.

Amendment of Section 43.

26. In sub-section (1) of Section 43 of the Principal Act, for the words "fifty percent", the words "forty percent" shall be substituted.

Addition of new Chapter VIII-A.

27. After Chapter VIII of the Principal Act, the following shall be added namely:-

"**CHAPTER VIII-A**

47-A. Appointment of Director of Agricultural Marketing.- The Government may, appoint any Officer to exercise or perform such powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

47-B. Powers and functions of the Director of Agricultural Marketing.- (1) Subject to the provisions of this Act, the Director may exercise such powers and perform such functions other than those prescribed for the Managing Director of the Board under this Act, which would enable proper execution of the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of the sub-section (2) of Section 52, the functions of the Director may include-

(i) grant/renewal and suspension or cancellation of licence granted to the person for establishing and/or operating private market yard, farmer-consumer market yard, private market sub- yard, electronic trading platform and direct marketing;

(ii) grant/renewal and suspension or cancellation of unified single trading licence;

(iii) supervision on the Market Committees for effective execution of provisions of the Act and Rules made thereunder relating to transaction of agricultural produce including livestock taking place in the principal market yards, sub-market yards;

(iv) approval of the Bye-laws framed by the Market Committee under this Act and Rules;

(v) identifying person(s) or organization for conducting the audit of accounts of the Market Committee and Board;

(vi) sanction/ approval of the budget of the Market Committee, according to Section 25-A of this Act;

(vii) accord sanction to the creation of posts of officers and staff of the Market Committee;

(viii) taking steps for timely and proper conduct of the elections of the Market Committee and activities connected thereto;

(ix) acceptance of resignation of the Chairman, Vice-Chairman and members of the Market Committee;

(x) to act as dispute resolution authority for the licensee of private market yard, farmer-consumer market yard, private market yard, sub-market yard, electronic platform and direct marketing and holder of single unified licence;

(xi) to act as appellate authority for any person aggrieved by order of the Market Committee;

(xii) removal of Chairman/Vice-Chairman or member(s) of the Market Committee in the manner as may be prescribed; and

(xiii) to inspect or cause to be inspected accounts and offices of the Market Committee, if so required.

47-C. Revolving Marketing Development Fund.- (1) The Director shall maintain a separate "Revolving Marketing Development Fund" to account the receipts realized as contribution from licensees of private market yard, private market sub-yard and from such other contributions including Market Committee.

(2) Every Market Committee shall contribute not more than ten percent of its income derived from licence fees and market fees, as may be prescribed, to "Revolving Marketing Development Fund" maintained by Director.

(3) The Director will spend the fund, so maintained under sub-section (1), in development of common marketing infrastructure, skill development, training, research and pledge financing and such other activities as will aid in creating an efficient marketing system in the State.

(4) The salary and other emoluments to the officers and servants of Director of Agricultural Marketing, shall be paid from the Revolving Marketing Development Fund.

47-D. Offices and staff of the Director of Agricultural Marketing.- The Director, to discharge such duties and perform such functions as assigned under this Act or Rules made thereunder, and he shall be provided with such officers and staff as may be prescribed."

Amendment of Section 50.

28. In sub-section (2) of Section 50 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be subsituted.

Amendment of Section 53.

29. In sub-section (1) of Section 53 of the Principal Act, for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be subsituted.

Amendment of Section 54.

30. In Section 54 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted.

Amendment of Section 55.

31. In Section 55 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted.

Amendment of Section 56.

32. In Section 56 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted.

Amendment of Section 57.

33. In Section 57 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted.

34. In Section 58 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 58.**

35. In Section 59 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted. **Amendment of Section 59.**

36. After Section 59 of the Principal Act, the following shall be added, namely : **Addition of new Section 59-A and 59-B.**

"**59-A.Power of the Director to prohibit execution or further execution of resolution passed or order made by the Market Committee.-** (1) The Director may, on his own motion, or on report or complaints received, by order, prohibit the execution or further execution of a resolution passed or order made by the Market Committee or its Chairman or any of its Officers or servants, if he is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to public interest, or is likely to hinder efficient running of the business in any market yards or sub-market yards or is against the provisions of this Act or Rules or Bye-laws made there under.

(2) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section(1) and continuing in force, it shall be the duty of the market committee, if so required by the Director to take such action which the Market Committee would have been entitled to take if the resolution or order had never been made or passed and which is necessary for preventing the Chairman or any of its officers or servants from doing or continuing to do anything under the resolution or order.

59-B.Duty of Local Authority to give information and assistance.- It shall be the duty of every Local Authority to give all the necessary information in the possession of or under the control of its officers to the Market Committee or its officers authorized in that behalf, relating to the movement of notified agricultural produce into and out of the area of the local authority, free of any charges."

Amendment of Section 61.

37. In Section 61 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted.

Amendment of Section 63.

38. In proviso of Section 63 of the Principal Act, for the words "Managing Director" the word "Director" shall be subsituted.

39. In Section 64 of the Principal Act, after the words "the President, Vice-president, the members, the officers and other servants of the Board", the words "and the Director" shall be inserted. **Amendment of Section 64.**

40. In Section 65 of the Principal Act, - **Amendment of Section 65.**

(1) in sub-section (1), after the words "Managing Director", the words "or Director" shall be inserted.

(2) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:-

"(2-a) The Director may delegate to any officer any of the powers conferred on him by or under this Act."

(3) in sub-section (3), for the words "Managing Director", the word "Director" shall be substituted.

41. In Section 66 of the Principal Act,- **Amendment of Section 66.**

(1) after the words "Managing Director" wherever they occur, the words "or Director" shall be inserted.

(2) for the words "or against any officer or servant of the Board or any market committee", the words "or against any officer or servant of the Board or Director or any market committee" shall be substituted.

42. In Section 67 of the Principal Act, after the word "Board" the words "or Director" shall be inserted. **Amendment of Section 67.**

Amendment of Section 81.

43. In Section 81 of the Principal Act, for the words "Managing Director" wherever they occur, the word "Director" shall be subsituted.

Addition of new Section 82-A

44. After Section 82 of the Principal Act, the following shall be added, namely:-

"**82-A. Power to remove difficulty.-** If any difficulty arises in implementation of any provisions of this Act, as amended by this Sanshodhan Adhiniyam, the State Government may, as exigency requires, by order not inconsistent with the provisions of this Act, do anything which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date on which this Sanshodhan Adhiniyam comes into force."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.